तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 41/2019 बअनवान सुशीला बनाम पुष्पा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.07.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। केवियटर अधिवक्ता श्री राणाराम गोड़ उप.। अपीलांट द्वारा यह अपील न्यायायलय सहायक कलक्टर बाड़मेर के प्रकरण संख्या 222/2009 में दिनांक 10.06.2019 के तहत प्रदत्त अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण जो विवादित खेतों के खातेदार भी नहीं है उसके बावजूद उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटगण अपीलांटगण के खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश से अपीलांटगण अपने खेतों का विकास करवाने व अपने हिस्से की भूमि पर ऋण इत्यादि लेने में असफल होंगे जिससे अपीलांटगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। केवियटर अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक होने से तथा पक्षकारान हिन्दु विधि से शासित होने से रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण का अपीलाधीन आराजी में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया है। अपीलांटगण रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू है। अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है जो न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार से बाहर है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील का निस्तारण इस स्टेज पर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है, जो सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) **बाड़मेर के अंतरिम आदेश के विरूद्ध है।** इस धारा में प्रावधानों का अवलोकन किया। यह धारा स्पष्ट करती है कि **"इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पर पारित अंतिम आदेश की ओर ऐसे अन्य आदेशों की धारा 212 में और सी पी सी 1908 में वर्णित है, अपील होगी।"** अपीलाधीन आदेश अंतरिम है न कि अंतिम लिहाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार यह अपील श्रवणयोग्य नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाना न्यायोचित ठहरता है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

Scanned by CamScanner